मुख्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम
Headquarters, Employees' State Insurance Corporation
पंचदीप भवन, सी.आई.जी. मार्ग, नई दिल्ली–110002
Panchdeep Bhawan, CIG Road, New Delhi-110002
www.esic.nic.in

संख्या : ए–49 / 13 / 1 / 2008–रा.भा. दिनांक : 2 अप्रैल, 2014

सेवा में,

1. बीमा आयुक्त, राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी, नई दिल्ली।
2. सभी क्षेत्रीय निदेशक, क.रा.बी. निगम, क्षेत्रीय कार्यालय।
3. निदेशक(चिकित्सा) दिल्ली / नोएडा / के.के. नगर।
4. सभी निदेशक / प्रभारी संयुक्त निदेशक, उप क्षेत्रीय / प्रभागीय कार्यालय।
5. सभी चिकित्सा अधीक्षक, क.रा.बी.निगम अस्पताल।

विषय : राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए स्थापित जांच बिन्दुओं का अनुपालन।

महोदय / महोदया,

सरकार की राजभाषा नीति को सुचारु रूप से कार्यान्वित करने के लिए गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग ने जांच बिन्दु स्थापित किये हैं और इनके सम्यक् अनुपालन पर जोर दिया गया है। संसदीय राजभाषा समिति जब कभी किसी कार्यालय का निरीक्षण करती है, तो जांच बिन्दुओं के अनुपालन की समीक्षा करती है। इसलिए प्रत्येक कार्यालय अध्यक्ष का उत्तरदायित्व है कि वे स्थापित जांच बिन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित करें। प्रत्येक कार्यालय को प्रतिवर्ष अप्रैल माह में जांच बिन्दुओं की सूची स्वयं ही जारी करने की जिम्मेदारी सौंपी गयी है। जांच बिन्दुओं की सूची कार्यालय के प्रत्येक अधिकारी को जारी की जाती है और इसकी एक प्रति उसके नियंत्रणाधीन शाखा को भी भेजी जाती है। प्रत्येक जांच बिन्दु के अनुपालन हेतु उत्तरदायी अधिकारी का पदनाम उस जांच बिन्दु के सामने अंकित करते हुए जांच बिन्दुओं की सूची विधिवत जारी की जाती है। तत्पश्चात पूरे वर्ष प्रत्येक जांच बिन्दु के सम्यक् अनुपालन की बारीकी से निगरानी रखी जाती है तथा अनुपालन का उल्लंघन पाये जाने पर उसे संबंधित कार्यालय अध्यक्ष के ध्यान में लाया जाता है। विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में भी इस मद पर चर्चा की जाती है और अनुपालन हेतु आवश्यक निर्णय लिए जाते हैं। जांच बिन्दु की मदें निम्नानुसार है :–

	मद	उत्तरदायी
1.	फार्मों, नियम पुस्तकों और मुद्रित होने वाली सामग्री का मुद्रण।	सामान्य शाखा के अधिकारी / संबंधित शाखाधिकारी
2.	कम्प्यूटरों तथा अन्य यांत्रिक उपकरणों की खरीद।	सामान्य शाखा के अधिकारी / खरीद अधिकारी
3.	राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अन्तर्गत आने वाले सामान्य आदेश और कागजात द्विभाषी रूप में जारी करना।	हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी
4.	'क' तथा 'ख' क्षेत्रों को भेजे जाने वाले पत्रादि हिंदी में प्रेषित करने के लिए।	हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी
5.	लिफाफों पर पते हिन्दी में लिखना।	प्रेषण शाखा के अधिकारी / सभी शाखाएं
6.	रबड़ की मोहरों, नाम पट्ट, सूचना पट्ट, संकेत पट्ट आदि द्विभाषी बनाना।	सामान्य शाखा के अधिकारी / संबंधित शाखाधिकारी
7.	सेवा पुस्तिकाओं में प्रविष्टियां हिंदी में करना।	प्रशासन शाखा के अधिकारी / लेखाधिकारी
8.	हिन्दी में प्राप्त पत्रादि का उत्तर हिन्दी में देना।	हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी
9.	संपूर्ण कार्य हिन्दी में करने के लिए विनिर्दिष्ट शाखाओं में अनुपालन।	विनिर्दिष्ट शाखाओं के अधिकारी
10.	साइक्लोस्टाइलिंग / डुप्लो स्तर पर।	अनुमति प्रदान / हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी

उपर्युक्त के दृष्टिगत निदेशानुसार निवेदन है कि जांच बिन्दुओं की सूची विधिवत् जारी करने की पुष्टि करें और जारी किए गये पत्र / परिपत्र की प्रति दिनांक 20.04.2014 तक अवश्य इस कार्यालय को भिजवाएं।

भवदीय,

2.4.14

(डॉ. पन्ना प्रसाद)
संयुक्त निदेशक(रा.भा.)

प्रतिलिपि :
वेबसाइट सामग्री प्रबंधक, मुख्यालय को इसे क.रा.बी. निगम की वेबसाइट में डालने हेतु।

संयुक्त निदेशक(रा.भा.)

C:\Amrit\Amrit - 415\राजभाषा\Vinita\Janch Bindu\Janch Bindu.doc

वेबसाइट की विषय–सूची का प्रबन्धन
Website Contents Management
डायरी सं. / Diary No. 302
दिनांक / Date 03/04/14